न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6032/2002/राजसमन्द

शिवलाल पुत्र बक्तावर जाट निवासी मुरडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द

अपीलार्थी

बनाम

1 उदयलाल पुत्र किशोर जाट नवासी मुरडा
2 जयकिशन पुत्र जावरा जाट
3 नारायण लाल पुत्र मुरडा जाट
4 बदरी पुत्र हरलाल जाट
5 चतुरभुज पुत्र घासी जाट
6 उदा पुत्र बेहारा जाट
7 गुलाब पुत्र नवला भील
8 मांगु पुत्र नारू खटीक
9 अम्बालाल पुत्र नगजी जाट
10 रतनलाल पुत्र देवीलाल जाट
11 मगना पुत्र मोतीराम जाट निवासीयान मुरडा
12 अमरसिंह पुत्रउदयलाल राजपूत निवासी बुधपुरा तहसील आमेट
13 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आमेट

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः श्री जी.एस.लखावत वकील अपीलार्थीगण
श्री आर.के.गुप्ता वकील प्रत्यर्थी सं. 8 एवं 12
श्रीमती पूनम माथुर अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः.28.11.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा अपील संख्या 138/2000 में पारित निर्णय दिनांक 20.8.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद बाबत घोषणा सहायक कलक्टर, राजसमन्द के न्यायालय में ग्राम मुरडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 772, 777, 781, व 782/2 कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा तथा अन्य खसरा नम्बर 778, 779 एवं 780 कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा का खातेदार घोषित करने हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रतिवादी प्रत्यर्थी उदयलाल ने जबाबदावा के साथ कथन प्रस्तुत कर अपने स्वत्व की घोषणा किये जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की तथा निर्णय दिनांक 30.6.2000 से वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर खसरा नम्बर 772, 777, 781, व 782/2 कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित कर दिया एवं शेष खसरा नम्बर 778, 779 व 780 बाबत वाद खारिज कर दिया। प्रतिवादी के जिम्मे की तनकियात का निर्णय प्रतिवादी के विरूस्द्ध कर दिया। इसके विरूद्ध वादी अपीलार्थी एवं प्रतिवादी प्रत्यर्थी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में अलग अलग अपीले पेश की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.8.2002 से दोनों अपीले खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर चार खसरों का खातेदार घोषित किया तथा अन्य तीन खसरा नम्बर बाबात वाद खारिज करने की सीमा तक प्रथम अपील की जो अस्वीकार होने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। प्रतिवादी संख्या 1 का स्वत्व का कथन था जो स्वीकार नहीं होने पर उन्होंने प्रथम अपील की थी जो खारिज हुई। जिसकी उन्होंने द्वितीय अपील नहीं की है। प्रतिवादी की अपील खारिज होना अपीलार्थी के पक्ष में था। इस कारण अपील करने की उसे आवश्यकता/ विधिक आवश्यकता नहीं है।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने वादी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का सही रूप से अवलोकन एवं विवेचन नहीं किया है। प्रस्तुत साक्ष्यों से वादी अपीलार्थी सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकार रखना साबित होता है। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से वाद साबित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्यों को अभिलेख पर लिया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेज विवाद के निस्तारण में सहायक एवं आवश्यक है। लगान रसीदे आदि दस्तावेज जो अन्य प्रकरणों में प्रस्तुत हुये हैं एवं एक्जीबीट हुए हैं से वादी द्वारा विवादित आराजीयात का लगान दिया जाना साबित होता है।

जिससे खसरा नम्बर 778, 779, 780 पर वादी अपीलार्थी का कब्जा काश्त होना साबित है। साक्ष्यों से यह साबित है कि उक्त तीनों खसरा नम्बर ठिकाना कुठारिया से तुलच्छा एवं गोकुल गाडरी को उदडे पर दी गई थी एवं वे काबिज काश्त रहे हैं। तुलच्छा एवं गोकुल की वारिस मु0 भूरी से वादी अपीलार्थी ने उक्त तीनों आराजीयात खरीदी हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर अपील खारिज की है जबकि प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी का वाद पूर्णतया साबित है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिनमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा कोई कानूनी बिन्दु नहीं बताया गया है। विवादित तीनों खसरा नम्बर वादी अपीलार्थी ने मु0 भूरी से खरीदी जाना कथन किया है परन्तु मुं0 भूरी विवादित आराजीयात की अभिलेखीय खातेदार ही नहीं थी जिससे उसे बेचने का कोई हक व अधिकार नहीं था। आदेश 41 नियम 27 सी.पी. सी. के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य वादी अपीलार्थी के पास होते हुए भी बहुत ही अधिक देरी से प्रस्तुत की हैं तथा उक्त दस्तावेजात में वादी अपीलार्थी का नाम तथा खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिससे इन्हें विवादित आराजीयात से संबंधित होना नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं अतः यह द्वितीय अपील खारिज की जावे।

6. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिया कि राजकीय भूमि सही रूप से है। इनका स्वत्व एवं अधिकार किसी भी रूप में नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीवार विवेचन करते हुए वादी अपीलार्थी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर खसरा नम्बर 772, 777, 781, व 782/2 कुल किता 4 रकबा 13 बीघा 13 बिस्वा के संबंध में वादी को अनुतोष दिया है तथा शेष खसरा नम्बर 778, 779, 780 के संबंध में वाद खारिज किया है।

9. वादी अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह रहा है कि खसरा नम्बर 778, 779 एवं 780 तुलच्छा, गोकुल की वारिस मु0 भूरी से क्रय की है। इस संबंध में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि वादी द्वारा यह साबित नहीं कराया गया है कि विवादित तीनों खसरा नम्बर मु0 भूरी के खातेदारी में दर्ज रही हो

तथा मु0 भूरी को बेचान करने का अधिकार था। इसके साथ ही इस संबंध में प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रति अस्पष्ट एवं अपढनीय है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह विक्रय पत्र पंजीकृत किया गया हो। हम अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त समतर्वी निष्कर्ष से पूर्णतः सहमत है। चूंकि वादी अपीलार्थी ने स्वंय ने मु0 भूरी से विवादित आराजीयात क्रय किया जाना कथन किया है परन्तु ऐसी कोई जमाबन्दी आदि दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे विवादित तीनों खसरा नम्बर मु0 भूरी की खातेदारी में होना साबित होता हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय में आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत अतिरिक्त साक्ष्यों में रसीदे वगैरा मुख्य रूप से प्रस्तुत की गई हैं परन्तु प्रथम तो उक्त दस्तावेज वादी ने स्वंय के पास पहले से होना कथन किया है तथा देरी से प्रस्तुत किये जाने का समुचित कारण नहीं बताया गया है। द्वितीय इन रसीदों में वादी का नाम तथा खसरा नम्बर अंकित नहीं है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि ये विवादित आराजीयात के संबंध में ही है। ऐसी स्थिति में आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

10. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णय तथ्यों पर पूर्णतया न्यायोचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस द्वितीय अपील में किसी प्रकार का अन्य कोई महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु नहीं उठाया है । ऐसी स्थिति में हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय 20.8.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य